राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

राम सिंह बनाम मूल सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2117/2025	
29.5.26	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 03/06/2026 को पेश हो।	
03.6.26	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणात्मक इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1068/0.47 943/1.13 हैक्टेयर वाके मौजा दादूका तहसील कोटपूतली जिला हाल कोटपूतली-बहरोड राजस्थान में स्थित है जो साबिक खसरा नम्बर 138, 139 मिन से बने हैं। आराजी खसरा नम्बर 1068/0.47, 943/1.13 हैक्टेयर वाके मौजा दादूका तहसील कोटपूतली में महकमा क ोडियन गुलजार वेग व गुलसेर वेग पिता जोरावर वेग 7/8 मुगल मुसलान साकिन देह उपकृषक प्रहलाद सिह, अर्जुनसिंह पिता सीतासिंह कोम राजपूत हिस्सा सम्पूर्ण दर्ज है। भूप्रबंधक अन्तर्गत ठीकाणा खेतडी सम्वत 2005 मिसल अकीयत सख्या 2005 में आराजी खसरा नम्बर 1068/0.47, 943/1.13 हैक्टेयर वाके मौजा दादूका तहसील कोटपूतली का बिस्वेदार गुजलार वेग वगैराह तथा काश्तकार कॉलम 5 में अहमद लीलगर हिस्सा 1/2 हरनन्दा मीना 1/2 साकिन नाथीया वल्द साधु दरोगा साकिन राजनोता दर्ज है व सम्वत 2037 न महकमा कस्टोडियन गुलजार वगे व गुलशेर वगे पिता जोरावर वेग 7/8 मुगल मुसलान साकिन देह उपकृषक प्रहलाद सिह, अर्जुनसिंह पिता सीतासिंह कोम राजपूत दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 1068/0.47, 943/1.13 हैक्टेयर वाके मौजा दादूका तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली—बहरोड राजस्थान पर प्रहलाद सिंह, अर्जुनसिंह पुत्रान सीतासिंह उपकृषक काबिज थे। प्रहलाद की फौतगी के बाद इनके वारिसान अमरसिंह, सुमेरसिंह पुत्रान प्रहलाद सिंह सरोज कंवर पत्नि बहादुर सिंह हिस्सा 1/2 व अर्जुन सिंह की फौतगी के बाद उनके वारिसान कबूल सिंह, रामसिंह, राधेश्याम सिंह, भवानीसिह पुत्रान अर्जुनसिंह हिस्सा 1/2 पर काबिज काश्तकार थे। प्रहलाद सिंह व अर्जुन सिंह के वारिसान ने जरिये तबादला आराजी खसरा नम्बर 1068/0.47 हैक्टेयर में 0.04 हैक्टेयर का बेचान व 943/1.13 हैक्टेयर सम्पूर्ण का तबादला करके मौके पर काबिज काश्त करवा दिया जिस बाबत दिनांक 20-06-2007 को इकरारनामा तहरीर व तकमील करवा दिया। तब से वादीगण सख्या 1 व 2 हिस्सा 2/3 व वादीगण ख्या 3 लगायत 5 हिस्सा 1/3 लगातार उक्त निष्कांत कस्टोडियन भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

राम सिंह बनाम मूल सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2117/2025		

इकरारनामा की फोटो प्रति सलग्न वाद पत्र है। उक्त आराजीयात पर उपकृषक प्रहलाद सिह, अर्जुनसिह पिता सीतासिह कोम राजपूत का नाम आज तक दर्ज चला आ रहा है जिनके वारिसान कलक्टद्वारा उक्त निष्कांत भूमि का कब्जा बेचान वादीगण को कर दिया गया था जो कब्जा काश्त स्वामित्व के आधार पर उक्त निष्कांत भूमि पर दुरस्त किया जाकर वादीगण नाम दर्ज किया जावे। वाद पत्र के अन्त में वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है-

(अ) एक किता डिकी घोषणात्मक वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की प्रदान की जावे कि आराजी खसरा नम्बर 1068/0.47 में से 0.04 हैक्टेयर व 943/1.13 हैक्टेयर सम्पूर्ण वाके मौजा दादूका तहसील कोटपूतली जिला हाल कोटपूतली-बहरोड राजस्थान पर जरिये इकरारनामा दिनाक 20-06-2007 के अनुसार वादीगण सख्या 1 व 2 हिस्सा 2/3 व वादीगण संख्या 3 लगायत 5 हिस्सा 1/3 पर काबिज काश्त है के अनुसार वादीगण दुरस्त करवाकर अपना नाम उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण लम्बे समय से इस भूमि को काश्त करने के कारण एव वर्तमान में काबिज होने के कारण उन्हे काबिज काश्तकार घोषित किया जावे एवं वादीगण का नाम दर्ज किया जाकर उक्त आराजी के कब्जा काश्तकार घोषित किया जाकर तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिया जावे कि उचित मुआवजा जमा करवाया जाकर पत्र कमाक प7 (2) राजस्थान / पुर्नवास / ग्रुप-10/2014 दिनाक 06-08-2020 के द्वारा किये गये मार्ग दर्शन के बिन्दु संख्या 1 व 2 के अनुसार उक्त आराजीयात का मुताबिक आदेश खातेदारी जारी करे तथा आदेशानुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों से 1963 के नियमों के नियम 6(4) में विहित राशि वसूल की जाकर खातेदारी दिये जाने के आदेश फरमाये जावे तथा आराजी विवादित के हाल राजस्व रिकार्ड में निष्कांत एंव उपकृषकों के नाम अकंन हो रहा है, उसे कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादी पैरोकार सरकार की और से जवाब दावा पेश किया गया | तत्पश्चात वादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 29/08/2025 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	राम सिंह बनाम मूल सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2117/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष को मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस विचाराधीन वाद संख्या 31/2025 को जिस विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1068 व 943 के सम्बन्ध में पेश किया गया है, उसी आराजी खसरा नम्बर 1068 व 943 के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अन्य वाद संख्या 65/2025 भी विचाराधीन था एवं आज भी अन्य वाद संख्या 65/2025 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के लिये कानूनन एवं न्यायिक हेतु यह आवश्यक था कि वे दोनों वादों को ईकजाई कर एक साथ उक्त दोनों वादों को निस्तारित करते किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन वादा संख्या 31/2025 का केवल मात्र अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से निस्तारण कर दिया गया, जिससे अन्य वाद संख्या 65/2025 का निस्तारण स्पष्ट रूप से प्रभावित हो जाना जाहिर होता है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त कर वाद संख्या 31/2025 एवं वाद संख्या 65/2025 को ईकजाई सुनवाई कर दोनों वादों का विधिसम्मत निस्तारण किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29/08/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों वादों क्रमश: 31/2025 व 65/2025 पर पक्षकारान की ईकजाई बहस समायत कर विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण कर दोनों वादों का एक साथ निस्तारण करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 03/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |